



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com  
website : www.mpagro.org - CIN No. U01119MP1969SGC001055

**उपप्रबंधक (हार्टिकल्चर) एवं सहायक प्रबंधक (सामान्य) की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**

1	आवेदक का नाम	
2	पिता /पति का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	जाति (सही पर निशान लगाये)	सामान्य वर्ग /अ.पि.वर्ग / अनु.जाति /अनु. जनजाति
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाईल नंबर	
8	ई-मेल आई.डी	

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क.	बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा/अन्य योग्यता	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत	रिमार्क
1						
2						
3						
4						

नोट : कृपया अंक सूची की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

10. अनुभव :-

क.	संस्था/उपक्रम का नाम	कब से कब तक कार्यरत	कुल अनुभव		कार्य का विवरण	रिमार्क
			वर्ष	माह		
1						
2						
3						

नोट : कृपया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

आवेदक का नाम .....

पता .....



**उपप्रबंधक (हार्तिकल्चर) एवं सहायक प्रबंधक (सामान्य)  
की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी**

एम.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को संविदा आधार उपप्रबंधक (हार्तिकल्चर) के 01 पद एवं सहायक प्रबंधक (सामान्य) के 04 पदों की आवश्यकता है। पात्र अभ्यर्थी को मासिक वेतन कमशः राशि रुपये 40,000/- प्रतिमाह एवं 25000/- प्रतिमाह (सीटीसी) देय होगा। संविदा की प्रथमतः अवधि एक वर्ष होगी। संविदा अवधि आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिवर्ष (एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ) वेतन में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

**1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता**

- 1.1 उपप्रबंधक (हार्तिकल्चर) हेतु-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी (हार्तिकल्चर)
- 1.2 सहायक प्रबंधक (सामान्य) हेतु- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक (मैकेनिकल\*/ इलैक्ट्रिकल\*/ सिविल/कम्प्यूटर साइंस\*)/एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीएम

**2. अनुभव**

- 2.1 उपप्रबंधक (हार्तिकल्चर) हेतु - शैक्षणिक योग्यता के पश्चात किसी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।
- 2.2 सहायक प्रबंधक (सामान्य) हेतु- बी.ई./बी.टेक (मैकेनिकल\*/ इलैक्ट्रिकल\*/ सिविल/कम्प्यूटर साइंस\*)/एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीएम की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात किसी संस्था/कम्पनी/सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।

**3. चयन का मापदंड**

- 3.1 निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु निगम मुख्यालय में उपस्थित होंगे, जिसके लिये सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम श्रेणी का रेल/बस किराया (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) देय होगा।
- 3.2 योग्यता के लिए 60 अंक, अनुभव के लिए 25 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 15 अंक निर्धारित किये गये हैं। योग्यता एवं अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

शैक्षणिक योग्यता के अंक			
परीक्षा का नाम		परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक	परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक
12वीं		15	20
एम.एस.सी (हार्तिकल्चर)/ बी.ई./बी.टेक/एमबीए/ पीजीडीएम/पीजीडीबीएम परीक्षा		35	40
योग-		<b>50</b>	<b>60</b>
अनुभव के अंक			
उपप्रबंधक (हार्तिकल्चर) पद हेतु		सहायक प्रबंधक (सामान्य) पद हेतु	
न्यूनतम 5 से 6 वर्ष के अनुभव के लिए	15 अंक	न्यूनतम 3 से 4 वर्ष के अनुभव के लिए	15 अंक
6 से अधिक एवं 8 वर्ष तक के अनुभव के लिए	20 अंक	4 से अधिक एवं 6 वर्ष तक के अनुभव के लिए	20 अंक
8 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए	25 अंक	6 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए	25 अंक
साक्षात्कार के अंक			
निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कुल 15 अंक निर्धारित हैं। अंकों का आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा।			

3.3 एक पद के लिए अधिकतम 06 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मेरिट आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

4. अन्य शर्तें

4.1 दिनांक 01.12.2022 को पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग हेतु) अधिकतम आयु 43 वर्ष हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन एवं महिला आवेदक (सभी वर्ग) के लिये अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष रहेगी।

4.2 साक्षात्कार के लिये केवल उन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा जो न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करेंगे।

4.3 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता एवं अनुभव को 85 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 15 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

4.4 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर निगम में कार्य अनुभव के आधार को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.5 एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार होगा।

4.6 नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं आकस्मिक होगी।

4.7 चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रु. 1000/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

4.8 अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तों, म.प्र. शासन व निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.9 निगम का प्रत्येक जिले में कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिले में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, जिसके लिये रु. 150/- प्रतिदिन की दर से डी.ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिये रु. 225/- विशेष दर) अन्य जिलों में ठहरने के लिये रु. 1250/- (प्रदेश के चार बड़े शहरों यथा इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में 1875/- प्रतिदिन) अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जावेगी। ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने-जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/ सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।

4.10 बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व संबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।

4.11 लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात् छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

4.12 अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। यदि निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं की जाती हैं या उसकी सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि को समाप्त किये बिना किसी पूर्व सूचना के यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा और इसमें अभ्यर्थी को कोई आपत्ति अनुबंध की निरस्ती बावत् करने का अधिकार नहीं होगा, न ही अभ्यर्थी इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बावत् उस पर/दावा करने का अधिकार होगा।

4.13 अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से सेवाएं छोड़कर जा सकेंगे।

प्रबंधक (एचआरडी)